भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 418

गुरुवार, 6 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक)

18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के बीच बेरोजगारी

418 डा. कनिमोझी एनवीएन सोमूः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के 30 करोड़ से अधिक युवा अभी भी बेरोजगार हैं या अल्प-रोजगार वाले हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या और रोजगार छिन जाने की समस्या को हल करने के लिए कोई व्यापक रोजगार सृजन कार्यक्रम तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में, विशेष रूप से चमड़ा और कपड़ा क्षेत्र में, बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए कोई नई रोजगार गारंटी योजना तैयार की है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किए जाते हैं जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में **17.8%** से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (केः पूंजी, एलः श्रम, ईः ऊर्जा, एमः सामग्री और एसः सेवाएं) डाटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र सहित रोजगार अनुमान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र (चमड़ा और कपड़ा क्षेत्र सहित) में रोजगार 2017-18 में 5.47 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.31 करोड़ हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 84.78 लाख है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने चमड़ा एवं वस्त्र क्षेत्रों सहित देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि कार्यांवित कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार ने बजट 2024-25 में, 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है,, जिससे 5 साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। बजट 2024-25 में, 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, रोजगार संबंद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल की गई जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

ईएलआई योजना का एक हिस्सा रोजगार की औपचारिकता/सृजन के लिए विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में कई पहलों की घोषणा के साथ रोजगार आधारित विकास को भी प्राथमिकता दी गई है।

***